न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6124

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या 1251/2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 484/2026

CNR No. UPGZ010028512026

1–जगदीश कुमार पाल पुत्र हरस्वरूप सिंह

2–देव कुमार पाल पुत्र हरस्वरूप सिंह

3–मुकुल पाल पुत्र जगदीश पाल

निवासीगण पाल मौहल्ला महाराजपुर थाना लिंकरोड़ जिला गाजियाबाद।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 36/2025

धारा 115(2),118(1),352,131,352(2) BNS

थाना लिकरोड़,गाजियाबाद।

11–03–2026

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण **जगदीश कुमार पाल, देव कुमार एवं मुकुल पाल** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उनका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 23–01–2025 को वादी अपने बच्चो के साथ कमरे पर आया हुआ था रात्रि करीब 9.30 बजे मकान मालिक जगदीशपाल कमरे में अंदर आया और उसकी पत्नी रीना से किराये के लेनदेन की वजह से बदतमीजी करने लगा व गाली गलौच करने लगा। उसने विरोध किया तो उसे पर झपट पड़ा, वह अपनी जान बचाने के लिये बाहर वाले रास्ते पर दूसरी तरफ मोबाईल की दुकान में घुस गया और कुछ देर में पिछे आए जगदीशपाल, देव कुमार पाल उर्फ बिल्लू, जगदीशपाल का बेटा व इनके अन्य साथियो ने उस पर जान लेवा हमला कर दिया। जगदीशपाल के बेटे ने धारदार हथियार से उसके सिर पर मारा। बिल्लू के हाथ में चाकू था, उसका शोर सुनकर उसकी माता राजकुमारी दौड़कर आई, उसे बचाने की कोशिश की, इन्होने उन पर भी हमला कर दिया जिससे उसे और उसकी मां को इनके हमले से काफी गम्भीर चोटे आयी। शोर सुनकर लोग इकटठे हो गये जिससे अनुराग तोमर व मनोज डागर ने आकर उन्हे बचाया और ये लोग गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.03.16 14:17:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4– अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया हैं कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई स्वतत्र साक्षी नहीं है। केस डायरी में विवेचक द्वारा यह उल्लेख किया हैं कि घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, परन्तु उसमें कोई तथ्य नहीं आया। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी हैं, परन्तु विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया है। अभियुक्तगण उचित जमानत देने को तैयार है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के साथ धारदार हथियार हमला करके चोटे पहुंचायी गयी है। अभियुक्तगण कथित अपराध में संलिप्त रहे है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

6– मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्को को सुना तथा प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

7– प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा की पत्नी अभियुक्तगण के घर में बतौर किराये रहना, अभियुक्त जगदीशपाल द्वारा उसकी पत्नी से किराये के बावत बदतमीजी करना, वादी मुकदमा द्वारा विरोध किये जाने पर उसे गाली गलौच करना एवं अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को धारदार हथियार से हमला करके मारपीट किये जाने एवं गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी दिया जाना अभिकथित किया है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता हैं कि विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा की पत्नी अभियुक्तगण के घर में किराये पर रहना, किराया अदा न करने को लेकर विवाद होना उल्लिखित है। प्रस्तुत प्रकरण सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

8– अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना इस न्यायालय के मत में आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **जगदीश कुमार पाल, देव कुमार पाल एवं मुकुल पाल** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को उनके द्वारा अंकन 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन अंदर 15 दिन सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करने पर उसे अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तानुसार रिहा किया जाए–

(i) आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियो पर उपस्थित होगे।

(ii) आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगें, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगे।

(iv) आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगी, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

(V) उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पर सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कभी भी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिये द०प्र०सं० में दिये गये प्रपीडनात्मक कार्यवाहियो का उपयोग कर सकती है तथा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात अभियुक्तगण तभी रिहा किया जाएगी जब उनके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः नये सिरे से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

दिनांकः 11-03-2026

(अनिल कुमार-IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।